1	2	3	4	5
7	Improvement to Nizamsagar Stage-I .	15·12	13·91	1982-83
8	Singur Project	45·00	10·57	1984-85
	B—*New Schemes of Sixth Plan*			
1	Yelluru Reservoir*	161·50	13·25	..
2	Polavaram*	298·50	0·15	..
3	Srisailam Right Bank Canal . . .	220·22	1·15	Seventh Plan
4	Jurala Project*	77·00	1·30	..

*These projects are yet to be approved and hence their date of completion is not known.

प्राकृतिक विपदाओं का स्थायी हल

111. **श्री उमाकान्त मिश्र :**

श्री सूरज भान :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री जगपाल सिंह :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं के स्थायी हल का पता लगाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख). 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने विभिन्न बेसिनों में बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ प्रबंध के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी । आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही की गई थी और उनके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे । 1981 में हुए राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था ।

गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में व्यापक बाढ़ समस्या को दृष्टि में रखते हुये, एक व्यापक (मास्टर) योजना तैयार करने तथा बेसिन राज्यों को विभिन्न बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए एक पृथक् गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित किया गया है । इसी प्रकार, अन्य लाभकारी उपयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास को ध्यान में रखते हुये, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़-नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड गठित किया गया है ।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की समस्या की राष्ट्रीय सिंचाई आयोग (1972) द्वारा जांच की गई है । इससे भी पहले, राज्य सरकारों ने सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की कई स्कीमें आरम्भ कर ली थीं । देश में इस समय निर्माणाधीन कई वृहद परियोजनाएं सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती हैं । सूखाग्रस्त जिलों की समस्याओं

का अध्ययन करने के लिए जिलों की रिपोर्ट तैयार करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग में विशेष संगठन यूनिट बनाया गया है। ये अध्ययन पूरे होने वाले हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी तैयार किया है जिसमें विभिन्न नदियों पर जल-संचयन जलाशयों के निर्माण और बेसिन वाले क्षेत्रों की न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् सिंचाई के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के अलावा, अन्तर्योजक लिंकों का निर्माण करके जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का उपयोग करने के लिए अधिशेष प्रवाह के अन्तरण की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जल-विद्युत् उत्पादन के अलावा, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था होने की भी आशा है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रायद्वीपीय लिंकों के अन्वेषण के लिए अभी हाल में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नामक एक पृथक अभिकरण किया गया है। आशा है कि यह अभिकरण प्रायद्वीपीय लिंकों के लिए परिप्रेक्ष्य की व्यवहार्यता रिपोर्ट लगभग 10 वर्ष की अवधि में तैयार कर लेगा।

गन्ने की बकाया धनराशि

112. **श्री अशफाक हुसैन :**
श्री राम लाल राही :

क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले गन्ने की पेराई के मौसम का गन्ने की पेराई का कार्य को-आपरेटिव तथा गर-सरकारी मिलों में कब तक शुरू हो जाएगा ;

(ख) उक्त दोनों क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् प्रत्येक यूनिट पर 15-9-1982 को गन्ना उत्पादकों की किस किस वर्ष की कितनी धनराशि बकाया है ;

(ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुच्छेद 3(क) के अन्तर्गत प्रत्येक मिल को 15 सितम्बर, 1982 को ब्याज की कितनी धनराशि देनी है ;

(घ) क्या सरकार गन्ने की पेराई का आने वाला मौसम शुरू होने से पहले बकाया धनराशि और उस पर ब्याज की धनराशि की अदायगी के लिए कदम उठायेगी ;

(ङ) यदि हां, तो उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या ; और

(च) क्या लोगों के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और यदि जहां, तो अब तक क्या कायवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान, जैसा कि फैक्टरियों ने सूचित किया है गन्ने पेरने का कार्य शुरू करने की प्रत्याशित तारीखें [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-5418/82] विवरण-1 में दी जाती हैं।

(ख) गन्ने के मूल्य की देय राशि की फैक्टरी वार अद्यतन उपलब्ध स्थिति [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-5418/82] विवरण-2 में दी जाती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं और उसे राज्य सरकार से प्राप्त करना होगा।